सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, महावीर सिंह, आर.ए.एस

अपील संख्याः 54/18 **निर्णय दिनांकः 27–09–2019**

1. सुबोध पत्नी दरियासिंह जाति जाट निवासी 27 बीडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।
2. रायसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी चक 27 बीडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 19–07–2018
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः–

1. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 19–07–2018 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि तहसील खाजुवाला के चक 27 बीडी में स्थित है। अपीलांट ने अपनी भूमि के चिपते ही चक 27 बीडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 35/64 के किला नम्बर 11, 12, 13, 19, 20, 21 व 22 की कुल 5 बीधा 30 बिस्वा कमाण्ड भूमि में से 3 बीधा 13 बिस्वा भूमि

का स्मालपेच आवंटन करवाया गया। जिसकी खातेदारी भी दिनांक 14—10—2016 को जारी कर दी गई। चूंकि उक्त मुरब्बा नम्बर 35/64 में से नहर निकलने के कारण इसी मुरब्बें की 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि चक 26 बीडी में चली गई। बीडी नहर की निशानदेही के समय वास्तविक पत्थर लाईन पर न होकर गलत निर्मित हुई है। इसके कारण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। इसी विवाद को समाप्त करने के उद्वेश्य मात्र से अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जबकि प्रकरण में यह निर्विवाद कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटित व कब्जेकाश्त की भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों के हक व हकूकों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसीस्थिति में यदि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ तथा मुकदमें की आवृति बढ़ेंगी। उक्त तमाम तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में विधि के सिद्वान्तों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन विधि विरूद्व तरीके से करवाया गया है। अपीलांट को आवंटित भूमि अनिवार्य वन पट्टी/नहर के लिये आरक्षित होने के कारण उक्त भूमि का आवंटन किसी भी स्थिति में अपीलांट को नहीं किया जा सकता है। अपीलांट जिस भूमि पर अस्थाई

निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि है। ऐसीस्थिति में अपीलांट अपने कब्जे काश्त के विपरीत जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। अपीलांट/रेस्पोडेन्ट अपने–अपने धारण की भूमि पर काबिज काश्त है एवं अपनी पुराने कब्जे काश्त की भूमि पर बाड़ व तारबन्दी व आवासीय ढाणी बनाकर आबाद है। तमाम राजस्व रिकार्ड में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के कब्जेकाश्त व धारण की भूमि पर अपीलांट अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इसी आधार पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना विवेचन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि पर अपीलांट का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त साबित होता हो। अपीलांट द्वारा मिथ्या कथनों पर अदालत मातहत के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे खारिज करने में अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के आदेश जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि बतौर स्मालपेच आवंटन होने व अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि बीडी नहर की निशानदेही के समय वास्तविक पत्थर लाईन पर न होकर

गलत निर्मित होने के कारण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य विवाद उत्पन्न होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई व राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् यह पाये जाने पर कि अपीलांट/प्रार्थी को स्मालपेच आवंटन रिकार्ड के अनुसार नहर के पश्चिम दिशा में किया गया है परन्तु वास्तविक रूप से कब्जा नहर के पूर्व दिशा में अपीलांट द्वारा लिया गया है। जबकि उक्त भूमि पर पूर्व से अपीलांट का कब्जा काश्त होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

प्रकरण में अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष भी दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि अपीलांट को आवंटित भूमि वास्तविक रूप से किस चक में स्थित है। अपीलांट द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित/कब्जे काश्त की भूमि पर दखलंदाजी का प्रयास किया जाना प्रथम दृष्टया साबित है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर अपना विवेचन अंकित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—07—2018 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 27—09—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर